

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
प्रेस विज्ञप्ति

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना ।

वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें


एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 28.07.2014 से 21.08.2014 तक पटना से हाजीपुर मार्ग पर परिचालन नहीं करने वाले वैसे वाहन जिनका परमिट राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत है, ऐसे कुल 90 वाहनों की सूची निम्नवत् है, जिनमें से क्रम सं०-17, 25, 28, 32, 38 एवं 43 पर अंकित वाहनों का प्रत्यर्पण स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है :-

| क्र. सं. | वाहन संख्या | परमिट संख्या | क्र. सं. | वाहन संख्या | परमिट संख्या | क्र. सं. | वाहन संख्या | परमिट संख्या |
|----------|--------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------------|----------|--------------|--------------|
| 1 | BR-02T-4531 | 36/2013 | 31 | BR-2M-3571 | 152/2011 | 61 | BR-02Q-0152 | 126/2013 |
| 2 | BR-02T-5961 | 140/2013 | 32 | BR-02Q-0451 | 158/2011 | 62 | BR-25P-6594 | 129/2013 |
| 3 | BR-02T-4566 | 178/2013 | 33 | BR-2M-4951 | 163/2011 | 63 | BR-56A-4521 | 130/2013 |
| 4 | BR-02T-4671 | 92/2014 | 34 | BR-02Q-1771 | 04/2012 | 64 | BR-02M-4951 | 132/2013 |
| 5 | BR-02W-2032 | 93/2014 | 35 | BR-27-7422 | 09/2012 | 65 | BR-25A-5925 | 133/2013 |
| 6 | BR-2J-2751 | 09/2010 | 36 | BR-01PD-0451 | 30/2012 | 66 | BR-01PD-9004 | 137/2013 |
| 7 | BR-2J-2651 | 15/2010 | 37 | BR-02M-8939 | 29/2012 | 67 | BR-2K-6471 | 158/2013 |
| 8 | BR-2J-3531 | 27/2010 | 38 | BR-01PD-2422 | 50/2012 | 68 | BR-02Q-8386 | 163/2013 |
| 9 | BR-01PA-7951 | 47/2010 | 39 | BR-2K-6471 | 01/2013 | 69 | BR-25P-6383 | 170/2013 |
| 10 | BR-2K-9651 | 48/2010 | 40 | BR-25P-7025 | 39/2013 | 70 | BR-25P-6593 | 173/2013 |
| 11 | BR-AP-9651 | 49/2011 | 41 | BR-25P-9625 | 40/2013 | 71 | BR-02Q-4542 | 15/2014 |
| 12 | BR-2M-3749 | 50/2011 | 42 | BR-02Q-7339 | 47/2013 | 72 | BR-01PD-2651 | 16/2014 |
| 13 | BR-2K-5251 | 52/2011 | 43 | BR-25P-6751 | 51/2013 | 73 | BR-25A-6653 | 21/2014 |
| 14 | BR-2M-3651 | 55/2011 | 44 | BR-01PB-9522 | 68/2013 | 74 | BR-01PE-4020 | 46/2014 |
| 15 | BR-1P-9584 | 59/2011 | 45 | BR-02Q-0251 | 87/2013 | 75 | BR-25A-0895 | 58/2014 |
| 16 | BR-01PC-3361 | 106/2011 | 46 | BR-2Q-0651 | 99/2013 | 76 | BR-02Q-3651 | 67/2014 |
| 17 | BR-13C-6551 | 111/2011 | 47 | BR-2H-4751 | 100/2013 | 77 | BR-02W-0227 | 75/2014 |
| 18 | BR-2M-4851 | 121/2011 | 48 | BR-25A-9707 | 101/2013 | 78 | BR-25P-7094 | 76/2014 |
| 19 | BR-2M-4951 | 123/2011 | 49 | BR-06PA-1293 | 102/2013 | 79 | BR-25P-7096 | 77/2014 |
| 20 | BR-02M-8851 | 124/2011 | 50 | JH-15D-5776 | 103/2013 | 80 | BR-02W-0127 | 78/2014 |
| 21 | BR-02K-0165 | 125/2011 | 51 | BR-25B-3927 | 104/2013 | 81 | BR-21D-3094 | 82/2014 |
| 22 | BR-02M-8031 | 126/2011 | 52 | BR-2J-1651 | 107/2013 | 82 | BR-01PD-2522 | 83/2014 |
| 23 | BR-2M-6551 | 131/2011 | 53 | BR-02Q-3851 | 119/2013 | 83 | BR-25P-9989 | 90/2014 |
| 24 | BR-01PC-5222 | 141/2011 | 54 | BR-02M-4851 | 110/2013 | 84 | BR-02W-0657 | 97/2014 |
| 25 | BR-2B-5751 | 145/2011 | 55 | BR-25P-6719 | 116/2013 | 85 | JH-15D-5767 | 99/2014 |
| 26 | BR-26A-6551 | 146/2011 | 56 | BR-25B-7025 | 117/2013 | 86 | BR-21B-9311 | 101/2014 |
| 27 | BR-2C-6551 | 147/2011 | 57 | BR-01PE-1108 | 118/2013 | 87 | BR-56A-4921 | 105/2014 |
| 28 | BR-2B-6651 | 148/2011 | 58 | BR-02Q-3951 | 120/2013 | 88 | BR-01PB-6211 | 136/2014 |
| 29 | BR-02M-9531 | 149/2011 | 59 | BR-25P-6855 | 124/2013 | 89 | BR-2M-0148 | 156/2014 |
| 30 | BR-01PC-0522 | 151/2011 | 60 | BR-25P-6854 | 125/2013 | 90 | BR-01PE-7377 | 172/2014 |

उक्त सूचीबद्ध वाहनों के पक्ष में निर्गत परमिट को रद्द करने के प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 03.02.2015 को सम्पन्न राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के मद संख्या-(ड-4) में प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन वाहनों का प्रत्यर्पण हेतु आवेदन दिनांक 28.07.2014 के पूर्व से प्राप्त है, उसे स्वीकार कर लिया जाय। शेष वाहनों के संबंध में एक माह के भीतर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण की मांग करने का निर्णय लिया गया है। परमिट प्रत्यर्पित करने वाले वाहन स्वामियों को छोड़कर शेष वाहन स्वामियों को एक मौका देते हुए समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 192 'क' (1) के तहत अर्थदंड के रूप में रू0 5000/- (पाँच हजार रू0) की राशि विभाग में जमा करने सहित प्रमाण के साथ स्पष्टीकरण परिवहन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। जो वाहन स्वामी ऐसा नहीं करते हैं; उनके परमिट को रद्द करने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकार के उक्त निर्णय के आलोक में संबंधित वाहन स्वामियों को निदेश दिया जाता है कि समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर प्रमाण सहित स्पष्टीकरण एवं अर्थदंड के रूप में रू0 5000/- (पाँच हजार रू0) की राशि विभाग में जमा करने का कष्ट करें अन्यथा आपके वाहन के पक्ष में निर्गत परमिट को रद्द कर दिया जायेगा।

उक्त सूचना परिवहन विभाग के वेबसाइट <http://transport.bih.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।



प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।